(496)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्र0 : नि/4243-I/16

वृन्दावन त्यागी पुत्र श्री रामचरन त्यागी
निवासी ग्राम शेखपुर तहसील कैलारस
जिला मुरैना (म0 प्र0) ।
- आवेदक

विरूद्ध

1- रामहेत त्यागी पुत्र श्री रामगोपाल त्यागी
निवासी ग्राम शेखपुर तहसील कैलारस,
जिला मुरैना (म0 प्र0) ।

2- म0 प्र0 शासन जर्ये तहसीलदार, कैलारस,
जिला मुरैना म0 प्र0।
- अनावेदकगण

"निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-2016 द्वारा पारित तहसीलदार कैलारस प्रकरण क्र0 - 69/15-16/बी-121 के निर्णय से दु:खित होकर ।

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अनावेदक क्र0 1 द्वारा शिकायत प्रस्तुत की कि आवेदक वृन्दावन आदि द्वारा मेरे घर का रास्ता बंद कर दिया गया है जिसके संबंध मे जन सुनवाई मे कलेक्टर मुरैना द्वारा कार्यवाही की गई तथा जिसके संबंध मे आवेदक द्वारा पृथक से अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रकरण क्र0 342/15-16 अपील वृन्दावन विरूद्ध रामहेत के नाम से दिनांक 16-8-2016 को प्रस्तुत की जिसकी फोटो कॉपी संलग्न है ।

(handwritten margin notes: रामसेवक शर्मा, अभिभाषक 16-12-16; 784 16.12.16)

XXIX(a)-BR(H)-11

(496)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4243-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	